



देर रात का हादसा

फीनिक्स मॉल के पास सड़क हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत

गुड इवनिंग, इंदौर

इंदौर के दुर्गानगर में रहने वाले दंपति की मंगलवार रात फीनिक्स मॉल के पास सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। दंपति रात में एक प्रोग्राम देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया।

कनाडिया पुलिस ने बताया कि घटना रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच की है। फीनिक्स मॉल के पास एक कार ट्रक के पीछे जा चुकी। कार में सवार अंकित पुत्र किशनलाल अग्रवाल और उनकी पत्नी परिनिधि की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। गाड़ी नंबर और मोबाइल से उनके परिवार से संपर्क कर जानकारी दी गई।

नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर थे : रिश्तेदारों से मिली जानकारी के मुताबिक अंकित नगर निगम के लिए सिविल कंस्ट्रक्टर का काम करते थे। परिवार में पत्नी के अलावा उनका एक बेटा, माता-पिता और छोटा भाई है। हादसे वाली जगह पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है और कई रास्ते अवरुद्ध थे। आशंका है कि अंकित को अचानक सामने खड़ा ट्रक नजर नहीं आया और हादसा हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है। परिजनों के अनुसार अंकित का एक बेटा है, साथ ही माता-पिता और एक छोटा भाई भी परिवार में हैं।

Short News

बार काउंसिल सदस्य ही बनेंगे
वक्फ बोर्ड मेंबर : सुप्रीम कोर्ट



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- राज्य बार काउंसिल का एक्टिव मेंबर ही राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश खिलकी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 2 अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली- व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से हो। दूसरी- संसद, राज्य विधानसभा या बार काउंसिल के सदस्य के रूप में सक्रिय पद हो। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत बताया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून में स्पष्ट नहीं है कि बार काउंसिल से बाहर होने पर वक्फ बोर्ड की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। दरअसल, राज्य वक्फ बोर्ड का यह मामला मणिपुर के मोहम्मद फिरोज अहमद खालिद से जुड़ा था, जिन्हें फरवरी 2023 में मणिपुर वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया था।

शरबत पर रामदेव का बयान
माफ़ी लायक नहीं : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस वीडियो पर नाराजगी जताई, जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित भंडाल ने कहा कि यह बयान माफ़ी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरालमा झकझोर दी। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी शब्दों को हटा देंगे, जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है। उससे जो पैसा मिलता है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं।

देशभर में गुस्सा : कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत, 26 को गोली मारी

सऊदी से लौटते ही मोदी ने एयरपोर्ट पर आपात बैठक ली

मोदी-शाह ने कहा किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली, एजेंसी

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों को गोली मार दी गई। भारत के साथ ही विश्वभर में इस कायराना हरकत की निंदा की जा रही है। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, फ्रांस सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही कहा है कि ऐसे आतंकियों को दंडकर मार देना चाहिए।

इधर, पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में हैं। हमले की सूचना मिलते ही वे सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं। बुधवार सुबह उनका विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए पीएम मोदी ने बगैर कोई भी वक्त गंवाए एयरपोर्ट पर हाई लेवल बैठक की। इस बैठक सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ-साथ अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार मोदी ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने और उनका साथ देने वालों पर कड़ी कार्रवाई



6 आतंकियों ने टूरिस्टों को मारी थी गोली

कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर आतंकवादियों ने एक पर्यटक ग्रुप पर हमला कर 26 लोगों को गोली मारी थी। वहीं कई लोग घायल हो गए। घायलों में पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं। यह हमला पहलगाम के बेसरन इलाके में हुआ है, जहां आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाया।

करने की बात कही है। इससे पहले मोदी ने मंगलवार शाम पोस्ट किया था कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। मोदी ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी की बात की। मोदी ने शाह को स्थिति से निपटने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने

को कहा है। अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं।

उधर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मृतकों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि यह हमला हाल के वर्षों में आम नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से कहीं बड़ा है।

सेना का सर्व अभियान जारी



बुधवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। भारतीय सेना ने एक पोस्ट में कहा कि आतंकियों की खोज की जा रही है। हेलिकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। वहीं ड्रोन्स से भी क्षेत्र में आतंकियों को खोजा जा रहा है। अनुमान है कि वे पहाड़ी के रास्ते फरार हुए हैं या जंगल में छिपे हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश खलबे में है। हमले में शामिल आतंकी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इसमें आतंकी के हाथ में एके-47 है और उसने कुर्ता-पजामा पहना हुआ है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहीं ये बड़ी बात

एआई से रोजगार पर खतरा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से रोजगार जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरिस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की है। अर्दोनी जनरल ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया है। कोर्ट 14 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मेरी चिंता यह है कि एआई ड्राइवों के रोजगार को खत्म न कर दे। यह रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। एआई अपने आप में तेजी से बढ़ती हुई तकनीक है। एक मॉड्यूल कुछ महीनों में अप्रचलित हो जाता है।



सरकार को जवाब दाखिल करना है : मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार को बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए। अगर मुझे यहां से 400 किलोमीटर दूर पालमपुर जाना है तो ऐसी जगहें हौनी चाहिए जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत

भूषण ने कोर्ट से अपने बेटे के बारे में एक हालिया घटना साझा की, जो कैलिफोर्निया में यात्रा कर रहा था और एआई संचालित उबर कार में सवार था, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दुनिया के कुल 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में है।

सरकार अपनी नीति लागू करे

भूषण ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि सरकार अपनी नीति लागू करे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह केवल सरकार नहीं है, अन्य संस्थान भी हैं। बता दें कि सीपीआईएल की याचिका में व्यवहारिक (इलेक्ट्रिक वाहन) ईवी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नीतियों और पहलों, के नीति ढांचे के अपर्याप्त कार्यान्वयन के बारे में सरकार की चिंताओं को उठाई गई है।

महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य भाषा अब नहीं होगी

राज्य सरकार ने 6 दिन बाद बदला फैसला
मुंबई, एजेंसी

महाराष्ट्र में स्कूली पढ़ाई के लिए अब हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का निर्णय वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि मराठी अनिवार्य होगी, अंग्रेजी दूसरी भाषा और तीसरी भाषा ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होगी। इससे पहले रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने कहा था कि स्टूडेंट्स तीसरी भाषा अपने मन से चुन सकते हैं। हिंदी अनिवार्य नहीं होगी। आपको बता दें फैसला वापस लेने से 6 दिन पहले यानी बुधवार को ही

महाराष्ट्र में 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य की गई थी। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेज के लिए तीन भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। राज्य के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बुधवार को ये घोषणा की थी। महाराष्ट्र में 5+3+3+4 मॉडल भी लागू करने का प्लान : वहीं, महाराष्ट्र में एनईपी का रिफॉर्म किया गया 5+3+3+4 मॉडल फेज-वाइज पहले की गई घोषणा के मुताबिक ही लागू किया जाएगा। इस नए स्ट्रक्चर के पहले फेज को नए एकेडमिक ईयर यानी 2025-26 से पहली क्लास के लिए लागू किया जाएगा।

